तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आगे कोई अवसर देय नहीं होगा। पक्षों को अगली तारीख 14.5.19 को पेश करें।
	सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर
14.05.19	वकील वादीगण तथा वकील वादीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन तलबाना प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इस न्यायालय के आदेशिकाओं की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अतः वादीगण का यह वाद O-9 R-5 CPC में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम पालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली तुरन्त फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर